

कार्यालय, चास नगर निगम

चास (बोकारो)

स्वीकृति पत्र

CME/BP103
19-05-2022

सेवा में,


श्री जितेन्द्र सिंह एवं अन्य,
पिता - निर्मल सिंह एवं अन्य
चीरा चास, वार्ड सं० - 03
चास, बोकारो।


विषय :- मौजा- चास 30 के खाता सं० - 19, प्लॉट सं० - 27, 28, रकबा - 60.00 डीसमिल, मौजा - फुदनीडीह पर आवासीय भवन नियमितिकरण शुल्क लेकर पुनरीक्षित की स्वीकृति हेतु आपका आवेदन दिनांक - 19-05-2022 गृह प्लॉन केश नं० बी० डी० **BD No- 02/2014-15/Rev 01**

महाशय,

आपके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में पुनरीक्षित भवन प्लान B+G+4 ऊँचाई 13.72 मीटर आवासीय भवन का संशोधित निम्न शर्तों पर की जाती हैं :-

1. आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं समर्पित दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाए जाने पर संशोधित भवन प्लान रद्द करते हुए नियमानुकूल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
2. भवन नियमितिकरण से किसी प्रकार के अधिकार स्वामित्व या अन्य लाभ स्थापित नहीं होगा।
3. वर्षा जल संचयन की व्यवस्था सुचारू रूप से स्थापित कर इस कार्यालय से जाँच करा लेंगे।
4. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक के विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माणकार्य एवं संरचना के सही रूपांकन अद्यतन भारतीय मानकों (Indian Standard) के साथ-साथ भूकम्प रोधी मानक के आधार पर किया जाय। निर्माण कार्य संरचना के सही रूपांकन एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता पर होगा।
5. नियमितिकरण से उक्त निर्माण से संबंधित किसी भी दिवानी या फौजदारी मुकदमों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
6. किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाकर तथा गलत जानकारी देकर नियमित कराये गए आदेश को वापस ले लिया जाएगा एवं इसके लिए जमा कराया गया शुल्क जब्त कर लिया जायेगा तथा संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के उपर झारखण्ड अधिनियम 2011 संख्या 04/2012 की धारा 11 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
7. भवन की संरचना के स्थिरता के मामले में प्रमाण-पत्र देने वाले अनुज्ञप्ति धारक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।
8. मानक के अनुसार विधुततारित चालक की व्यवस्था निश्चित रूप से करनी होगी।
9. इस नियमितिकरण के उपरान्त भवन में किसी प्रकार के निर्माण करने के उपरान्त या उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर नियमितिकरण रद्द करने का अधिकार चास नगर निगम को होगा।
10. भवन प्लान की स्वीकृति से प्रश्नगत भूमि आवेदक का स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/सी०एन०टी० खाता की भूमि/किसी अन्य की टाइटिल वाली भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जायेगा, अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
11. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं किये जाने पर बिल्डिंग परमिट को रद्द करने का अधिकार चास नगर निगम को होगा।


परियोजना अभियंता
चास नगर निगम।


अपर नगर आयुक्त
चास नगर निगम।